

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/ 219 /2024

दिनांक- 01/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प्र.सं. 219 / 2024 अभिवेक पिता कालू मीणा निवासी रतनपुरा ब्रह्म  
गोकल पिता जग्गा मीणा निवासी कुराडिया, भीमा पिता जग्गा मीणा निवासी कुराडिया,  
मोडा पिता जग्गा मीणा निवासी कुराडिया, छोदू पिता जग्गा मीणा निवासी कुराडिया,  
मुन्ना पिता बुन्दु खान पतान निवासी कुराडिया, फेसरलाल पिता बद्रीलाल मीणा निवासी  
कुराडिया, शैतान पिता बद्रीलाल मीणा निवासी कुराडिया, सौराज पिता कवरीलाल मीणा  
निवासी कुराडिया, सोहन पिता बालू मीणा निवासी कुराडिया, मोतिया पत्नी सोहनलाल  
मीणा निवासी कुराडिया, बंजारी पत्नी रामकिशन भील निवासी कुराडिया, भूरा पिता  
लखमा मीणा निवासी कुराडिया, मनभर पत्नी रतनसिंह मीणा निवासी कुराडिया, सुरेश  
पिता लालूलाल मीणा निवासी घोराणी, लादी पत्नी रतनलाल भील निवासी छाजेला का  
खेडा, तहसीलदार जहाजपुर बरौर की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उजवान के प्रकरण में ग्राम घाघोला प.ह.  
कुराडिया आराजी सं. 1660/1663, 1620/1 कुल कित्ता 02 रकबा 1.0101 हेक्टेयर भूमि की  
उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को  
कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी  
मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान  
किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को  
प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के  
आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योन में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

अभिषेक पिता कालू भीणा निवारी रतनपुरा  
बनाम

गोकल पिता जग्गा भीणा निवारी कुराडिया वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 219/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
01-05-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम घाघोला प.ह. कुराडिया आराजी सं. 1660/1633,1620/1 कुल कित्ता 02 रकबा 1.0101 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है   ग्राम घाघोला प.ह. कुराडिया आराजी सं. 1660/1633,1620/1 कुल कित्ता 02 रकबा 1.0101 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीशनर नियुक्त किया जाता है   कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें   तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)